झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 12(6) के अधीन

वार्षिक प्रतिवेदन 2012

न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय

लोकायुक्त, झारखण्ड

द्वारा प्रस्तुत

3, जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012

न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय
लोकायुक्त, झारखण्ड

लोकायुक्त का कार्यालय
आड्रे हाउस, झारखण्ड,
राँची।
फोन : 0651 – 2282899 (का0)
2530632 (आ0)
फैक्स – 2282444

प्रसंग .....दिनांक 08.06.2012 अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– 2579 लोक/

आदरणीय राज्यपाल जी,

झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 12(6) के अधीन वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान लोकायुक्त कार्यालय के कार्य निष्पादन एवं कृत्य पर वार्षिक प्रतिवेदन निवेदित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसे विधान सभा के पटल पर रखा जा सकता है।

सादर

भवदीय
ह0/–
(अमरेश्वर सहाय)
लोकायुक्त, झारखण्ड।

डॉ0 सैयद अहमद
महामहिम राज्यपाल,
झारखण्ड, राँची।

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय I	भूमिका	4–7
अध्याय II	लम्बित एवं निष्पादित मामले	8–10
अध्याय III	लोकायुक्त संस्थान की संरचना तथा प्रतिवेदन अवधि का वार्षिक बजट	11–13
अध्याय IV	प्रमुख मामलों का सारांश	14–23

भूमिका

झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 12(6) के अधीन वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इस कार्यालय का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है।

झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2001 में अधिनियमित किया गया। झारखण्ड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में झारखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव की नियुक्ति के पश्चात 04 दिसम्बर, 2004 से झारखण्ड लोकायुक्त के कार्यालय का कार्य शुरू हुआ। 04 दिसम्बर, 2009 को उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति के पश्चात झारखण्ड लोकायुक्त के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। मैने 03 जनवरी, 2011 को पदभार ग्रहण किया।

लोकायुक्त संगठन बनाने का उद्देश्य प्रशासन में बढ़ रहे कदाचार, अधिकार का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों को कारगर ढंग से निपटाना है ताकि राज्य सुशासित हो। भ्रष्ट लोक सेवक समाज के लिए खतरा है क्योंकि वह शासन में विवाद उत्पन्न करता है, विधि सम्मत शासन में जनता के विश्वास को धक्का पहुँचाता है तथा जन साधारण को लोकनिधि से लाभ प्राप्त करने से वंचित करता है जिनसे उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

विगत एक वर्ष के दौरान मैंने महसूस किया कि झारखण्ड लोकायुक्त का कार्यालय मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, केरल एवं बिहार जैसे अन्य राज्यों की तरह कारगर नहीं है। यदि राज्य सरकार सही अर्थ में भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर रोक लगाना चाहती है तो उसे निम्नलिखित कदम तुरत उठाना चाहिए :–

(i) अधिनियम में संशोधन किया जाए तथा लोकायुक्त के पूर्णतः अधीन एक अन्वेषण एजेंसी का उपबन्ध किया जाए ताकि बिना अनावश्यक विलम्ब के लोकायुक्त द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच करायी जा सके।

(ii) लोकायुक्त को भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति कुर्क करने के लिए छापा मारने, तलाशी एवं जब्त करने शक्तियाँ देनी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार के शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए लोकायुक्त संस्था को मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक एवं बिहार की तरह शक्तिशाली बनाना होगा।

यद्यपि झारखण्ड राज्य में लोकायुक्त का कार्यालय दिसम्बर, 2004 से ही कार्य कर रहा है किन्तु राज्य की आम जनता को लोकायुक्त के पद पर इसके उद्देश्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। वे लोकायुक्त को प्राप्त शक्तियों एवं कृत्यों से भी अवगत नहीं हैं।

अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता को लोकायुक्त कार्यालय के बारे में जागृत कर राज्य सकरार की कार्य प्रणाली में व्याप्त निष्क्रियता, कुप्रशासन, शक्ति का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध उनकी शिकायत एवं परिवार को दूर करने में इस कार्यालय की उपयोगिता के सम्बन्धमें लोगों में सामान्य जागरूकता पैदा की जाए। आम जनता को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वे लोकायुक्त संस्था द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रयोजनार्थ 27 अगस्त, 2011 को इस कार्यालय का वेबसाईट जारी किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा द्वारा किया गया था। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से इस कार्यालय द्वारा लोकायुक्त अधिनियम के साथ–साथ उससे सम्बन्धित सभी सुसंगत बातों एवं उपबंधों का प्रकाशन प्रश्नोत्तरी के (एफ.ए.क्यू.) रूप में किया गया है।

लोकायुक्त कार्यालय की गतिविधियों से सम्बन्धित एक दूसरी पुस्तिका भी प्रकाशित कर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए वितरित की गयी है। इन पुस्तिकाओं को कार्यशाला/संगोष्ठी एवं चलंत विधिक जागरूकता कैम्प के माध्यम से जनता के बीच वितरित किया गया है। इसी क्रम में 02 दिसम्बर, 2011 को विधिक जागरूकता वाहन को **''भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध''** के बैनर के साथ झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यालय की गतिविधियों एवं कृत्यों से सम्बन्धित दो ऑडियो सीडी भी जारी की गयी थी। फलतः दिनानुदिन मामले दायर करने में बढ़ोतरी हो रही है। इन सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ यहाँ 'उपलब्धि एवं गतिविधि' शीर्षक के अधीन दिए गये हैं।

कुल एक वर्ष एवं तीन माहों की मेरी अवधि के दौरान सब मिलाकर 855 परिवाद/अर्जी दायर किए गए जिनमें से 455 मामले का निपटारा किया जा चुका है। इस प्रतिवेदन के अध्याय–IV में महत्वपूर्ण मामले का सारांश तथा इस कार्यालय की अनुशंसा पर लोक सेवकों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का वर्णन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सोलह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। परिणाम प्रतीक्षित है। इसी तरह छह तृतीय श्रेणी की कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गयी है, वहीं तृतीय श्रेणी के चार अन्य कर्मचारियों की भर्त्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर हेतु कौशल जाँच परीक्षा का आयोजन हो चुका है। साक्षात्कार प्रतीक्षित है।

इन सभी प्रयासों के अलावा हमलोगों को यथेष्ट कार्यालय–स्थल एवं आधारभूत संरचना की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्र भवन के अभाव में लोकायुक्त कार्यालय, आड्रे हाउस के परिसर में स्थित एक पुराने भवन में चल रहा है जहाँ निगरानी ब्यूरो, हज समिति, वाणिज्यकर न्यायाधिकरण जैसे अन्य कार्यालय भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि मामले की सुनवाई के लिए कोई पृथक न्यायालय कक्ष, आगन्तुक कक्ष एवं पुस्तकालय हॉल भी उपलब्ध नहीं है। समुचित स्थान एवं प्रसाधन कक्ष आदि के अभाव में वादियों एवं कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त अन्वेषण एजेंसी के अभाव में लोकायुक्त कार्यालय अपने को निःशक्त महसूस करता है। हमलोगों को निगरानी ब्यूरो, सी0आई0डी0 एवं राज्य पुलिस जैसी अन्य एजेंसियों पर निर्भर करना पड़ता है जो खुद अत्यधिक कार्यों के भार से दबे रहते हैं। फलतः मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब होता है। यद्यपि इस कार्यालय द्वारा सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए अन्वेषण एजेंसी के प्रावधान हेतु अनेक पत्र एवं स्मार दिए गए हैं किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं चालकों के स्थायी पदों के सृजन हेतु भी अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा राज्य प्रशासन इन बातों से अवगत है कि बिहार सहित अनेक राज्यों में लोकायुक्त को पृथक कार्यालय भवन एवं स्वतंत्र अन्वेषण एजेंसी प्राप्त है।

अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि यह संस्था सीमित संसाधनों के रहते हुए भी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन यथासंभव कारगर ढंग से कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकारी कार्य प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए लोकायुक्त कार्यालय को और अधिक कारगर बनाने हेतु सरकार इस प्रतिवेदन में वर्णित कठिनाईयों एवं समस्याओं पर सम्यक् रूप से विचार करेगी तथा उन्हें दूर करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी।

रांची — ह0/—

30 अप्रैल, 2012 — न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय

उपलब्धियाँ / गतिविधियाँ

झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय का वेबसाईट

श्री अर्जुन मुण्डा, माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के द्वारा कार्यालय के वेबसाईट का उद्घाटन

कार्यालय के वेबसाईट के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री के साथ लोकायुक्त झारखण्ड, न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय ।

मेगा लोक अदालत के अवसर पर *झालसा* में विधिक जागरूकता स्टॉल

माननीय न्यायमूर्ति अलतमस कबीर, न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.सी. टाटिया, मुख्य न्यायधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय, लोकायुक्त झारखण्ड विधिक जागरूकता कार्यक्रम में लोकायुक्त कार्यालय के स्टॉल पर ।

सूचना विवरणिका का प्रकाशन

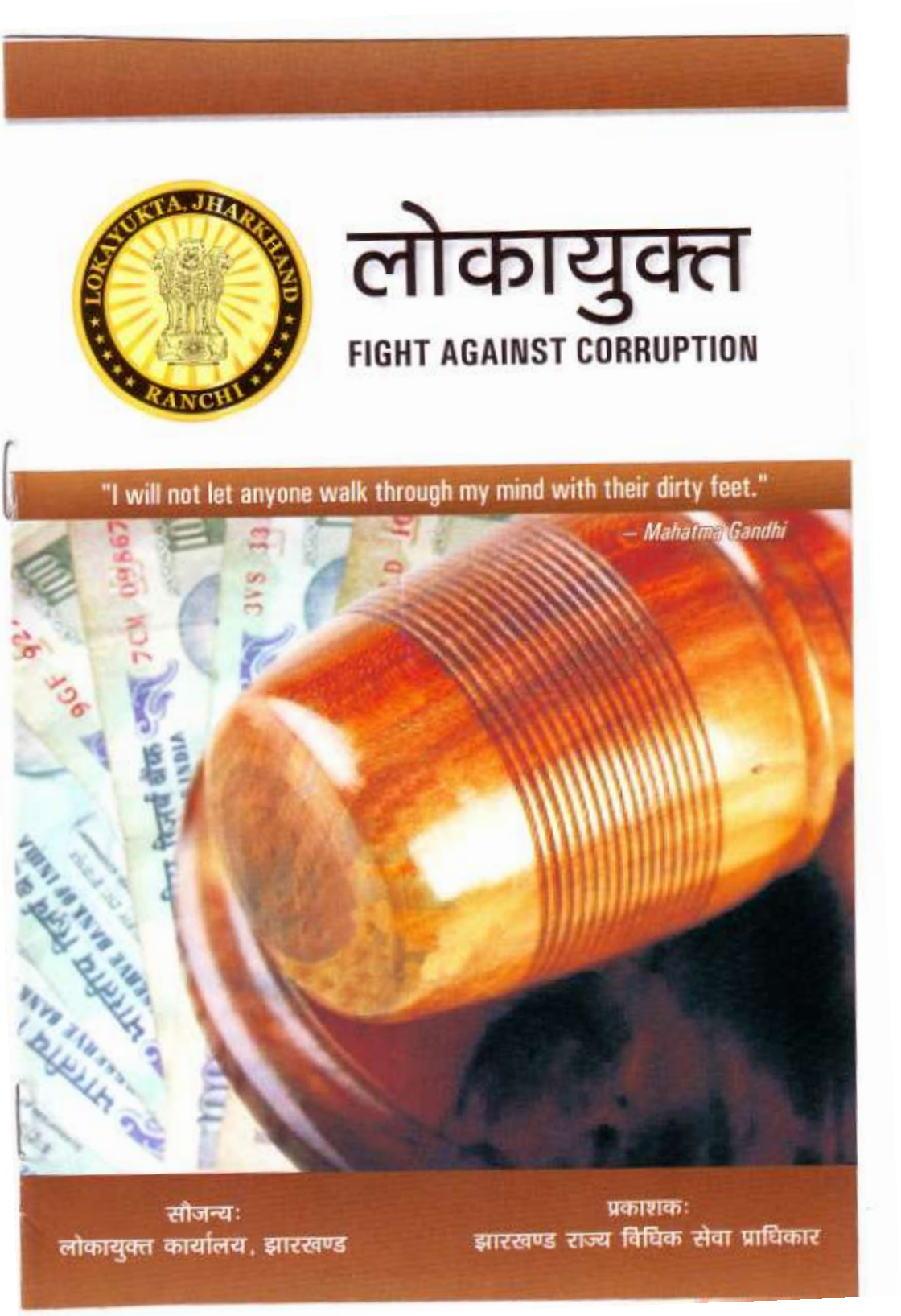

लोकायुक्त

FIGHT AGAINST CORRUPTION

लोकायुक्त कार्यालय का प्रसार-प्रचार हेतु विधिक जागरूकता शिविर वैन
को झण्डा दिखा कर रवाना करते माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर सहाय

विधिक जागरूकता वैन को झंडा दिखाकर रवाना करते हुए

बोकारो रोटरी क्लब में विधिक जागरूकता कार्यक्रम

चतरा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम

ग्राम हेथू, डोरण्डा राँची में विधिक जागरूकता शिविर

ऑडियो सीडी का लोकार्पण

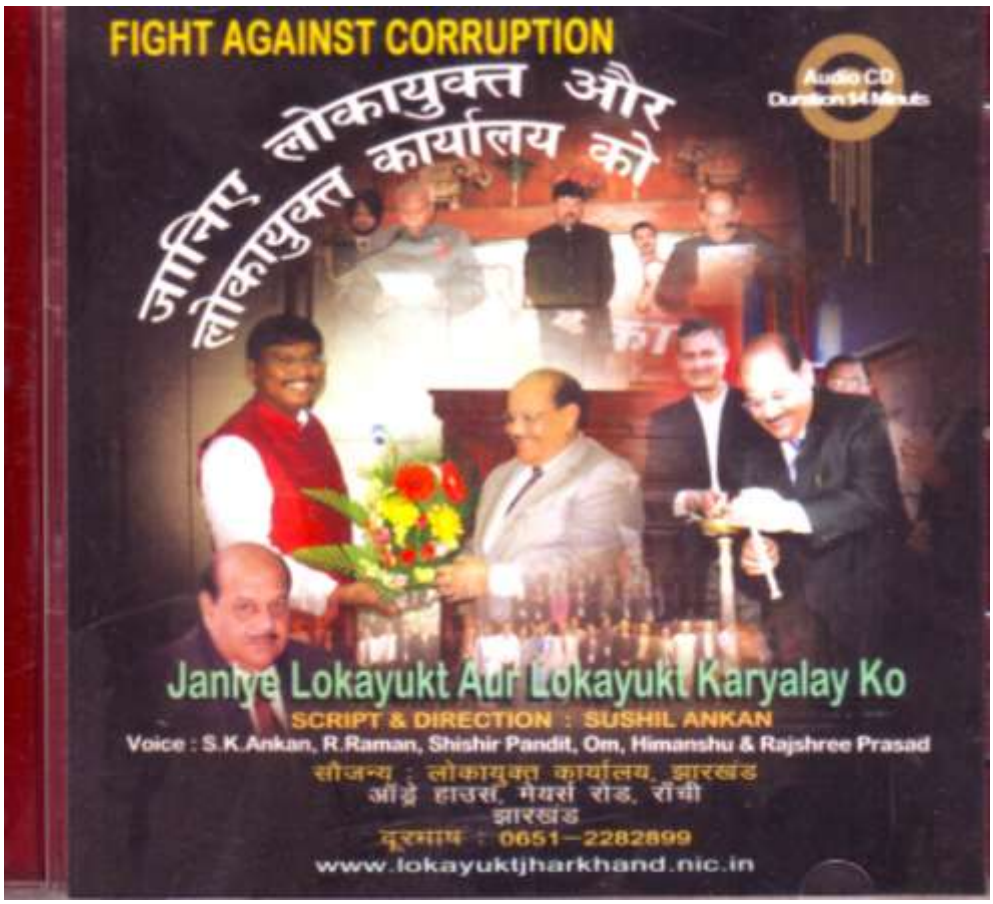

अध्याय–II

विभागवार लम्बित मामले की सूची

क्र0 सं0	विभाग	शिकायत	अभिकथन	परिवाद	कुल
1	पथ निर्माण	7	9	3	19
2	ग्रामीण विकास	27	18	20	65
3	पेयजल एवं स्वच्छता	4	9	1	14
4	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	2	3	1	6
5	उत्पाद	1	1	0	2
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	55	10	14	79
7	योजना एवं विकास	2	0	1	3
8	नगर विकास	13	7	3	23
9	श्रम विभाग	8	3	7	18
10	पुलिस विभाग	31	20	24	75
11	ऊर्जा विभाग	9	3	3	15
12	सहकारिता	9	1	1	11
13	विधि	0	0	0	0
14	उद्योग	8	0	1	9
15	कार्मिक एवं प्र0 सुधार	7	3	6	16
16	खान एवं भूतत्व	2	2	4	8
17	वाणिज्यकर	5	2	3	10
18	वित्त	0	0	0	0
19	सूचना एवं जनसम्पर्क	0	0	0	0
20	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	2	3	3	8
21	राजस्व एवं भूमि सुधार	39	17	17	73
22	परिवहन	8	1	0	9
23	जल संसाधन	13	4	1	18
24	कृषि एवं गन्ना	40	5	4	49
25	मानव संसाधन (शिक्षा)	65	44	16	125
26	कल्याण विभाग	6	7	5	18
27	पशुपालन एवं मत्स्य	8	1	0	9
28	भविष्य निधि निदेशालय	0	0	1	1
29	खाद्य एवं आपूर्ति	10	8	5	23
30	वन एवं पर्यावरण	24	11	10	45
31	भवन निर्माण	3	1	1	5
32	गृह (कारा)	2	2	0	4
33	आपदा प्रबंधन	0	0	0	0
34	निबंधन विभाग	1	0	1	2
35	सांख्यिकी	1	0	0	1

36	सिंचाई विभाग	3	6	0	9
37	आवास	5	1	1	7
38	विविध	18	4	10	32
	कुल	438	206	167	811

जनवरी, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान निपटाए गए मामले की सूची

क्र0 सं0	विभाग	शिकायत	अभिकथन	परिवाद	कुल
1	पथ निर्माण	6	3	1	10
2	ग्रामीण विकास	5	0	1	6
3	पेयजल एवं स्वच्छता	0	2	2	4
4	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन	0	2	1	3
5	उत्पाद	7	1	0	8
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13	2	13	28
7	योजना एवं विकास	1	—	—	1
8	नगर विकास	9	1	5	15
9	श्रम विभाग	3	1	4	8
10	पुलिस विभाग	21	17	45	83
11	ऊर्जा विभाग	6	0	1	7
12	सहकारिता	5	1	3	9
13	विधि	4	—	—	4
14	उद्योग	2	0	1	3
15	कार्मिक एवं प्र0 सुधार	1	1	1	3
16	खान एवं भूतत्व	2	1	2	5
17	वाणिज्यकर	4	0	0	4
18	वित्त	0	0	1	1
19	सूचना एवं जनसम्पर्क	0	0	0	0
20	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	1	0	3	4
21	राजस्व एवं भूमि सुधार	29	5	33	67
22	परिवहन	1	1	1	3
23	जल संसाधन	11	0	4	15
24	कृषि एवं गन्ना	10	—	2	12
25	मानव संसाधन (शिक्षा)	6	30	17	53
26	कल्याण विभाग	7	5	0	12

27	पशुपालन एवं मत्स्य	3	2	1	6
28	भविष्य निधि निदेशालय	2	0	0	2
29	खाद्य एवं आपूर्ति	8	1	2	11
30	वन एवं पर्यावरण	3	2	8	13
31	भवन निर्माण	0	0	1	1
32	गृह (कारा)	0	1	1	2
33	आपदा प्रबंधन	1	0	0	1
34	निबंधन विभाग	0	0	3	3
35	सांख्यिकी	1	0	0	1
36	सिंचाई विभाग	0	1	0	1
37	आवास	0	0	2	2
38	विविध	6	1	37	44
	कुल	178	81	196	455

अध्याय–III

लोकायुक्त संस्था की संरचना

अधिसूचना के अधीन यथास्वीकृत

क्र0सं0	पदनाम	संख्या बल
1	लोकायुक्त का सचिव (व0न्या0से0/भा.प्र.से.)	01
2	उप सचिव (झा.प्र.से.)	01
3	अवर सचिव (झा.प्र.से.)	01
4	प्रशाखा पदाधिकारी	01
5	वरीय निजी सहायक	01
6	निजी सहायक	04
7	सहायक	06
8	विपत्र लिपिक–सह–रोकड़पाल	01
9	डाटा इंट्री ऑपरेटर (संविदा)	02
10	दिनचर्या लिपिक (अन्य स्त्रोत)	01
11	अभिलेखवाह	01
12	अर्दली (अन्य स्त्रोत)	05
13	रात्रि प्रहरी (अन्य स्त्रोत)	01
14	झाड़ूकश (अन्य स्त्रोत)	02
15	चालक (संविदा)	02
16	बेंच क्लर्क	01
17	ऑडरली (जमादार)	02
18	दफ्तरी	01
19	ट्रेजरी सरकार	01
20	भंगी (झाड़ूकश) (संविदा)	01
21	लेखापाल	01

सम्प्रति लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत संख्या बल

क्र0सं0	पदनाम	संख्या बल	अभ्युक्ति
1	लोकायुक्त के सचिव (व0 न्या0 से0/भा.प्र.से.)	01	श्री राजेन्द्र कुमार जुमनानी (प्रधान जिला न्यायाधीश)
2	उप सचिव (झा.प्र.से.)	01	श्री सुरेन्द्र कुमार, झा.प्र.से.
3	अवर सचिव (झा.प्र.से.)	01	श्री राजीव रंजन, झा.प्र.से.
4	प्रशाखा पदाधिकारी	01	रिक्त
5	आप्त सचिव	01	श्री शशि रंजन कुमार
6	निजी सहायक	04	1) श्री संदीप मजूमदार 2) श्री सुबोध कुमार 3) सुश्री अलमा सुचिता टोप्पो 4) रिक्त
7	सहायक	06	1) श्री जनार्दन कुमार 2) श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह 3) श्री अमिताभ कांत 4) श्री अजय कुमार 5) श्री हरीशचन्द्र मुंडा 6) श्री मनोज कुमार
8	विपत्र लिपिक–सह–रोकड़पाल	01	श्री मनोज कुमार तिर्की
9	डाटा इंट्री ऑपरेटर	02	1) मो0 मुस्लिम अंसारी 2) श्री चैतन सिंह मुंडा
10	दिनचर्या लिपिक	01	श्री राजेश कुमार
11	अभिलेखवाह	01	अस्थायी आधार पर
12	आदेशपाल	05	अस्थायी आधार पर
13	रात्रि प्रहरी	01	अस्थायी आधार पर
14	झाड़ूकश	02	अस्थायी आधार पर
15	चालक (संविदा)	02	अस्थायी आधार पर
16	बेंच क्लर्क	01	रिक्त
17	ऑडरली (जमादार)	02	रिक्त
18	दफ्तरी	01	संविदा पर
19	कोषागार सरकार	01	रिक्त
20	भंगी (झाड़ूकश) (संविदा)	01	रिक्त
21	लेखापाल	01	रिक्त

नोट : सभी रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जारी है।

लोकायुक्त का वार्षिक बजट

पृथक् वार्षिक बजट नहीं बनाया गया है किन्तु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग से वर्ष 2011–12 के लिए प्राप्त आवंटन निम्नलिखित है :–

वर्ष – 2011–12 के लिए बजट आंकड़े

क्र0सं0	शीर्ष	आवंटन	व्यय
1	स्थापना वेतन	72,02,104.00	93,24,510.00
	मंहगाई भत्ता	30,21,632.00	
	कुल	1,02,23,736.00	
2	यात्रा व्यय	2,00,000.00	1,73,235.00
3	संविदा भत्ता	7,00,000.00	6,20,234.00
4	कार्यालय व्यय	7,00,000.00	6,99,732.00
5	दूरभाष प्रभार	1,00,000.00	99,925.00
6	मोटर कार (इंधन तथा रख रखाव)	3,50,000.00	2,25,894.00
7	वर्दी (यूनिफार्म)	13,000.00	शून्य
8	मशीनरी एवं उपकरण	2,00,000.00	1,99,819.00
9	छुट्टी यात्रा रियायत	3,50,000.00	1,45,084.00
10	नया मोटर का क्रय	7,50,000.00	7,49,921.00
11	विज्ञापन तथा कार्यशाला	1,00,000.00	29,190.00
12	पुस्तकालय	1,10,000.00	93,217.00
13	विद्युत व्यय	10,000.00	7,188.00
14	मजदूरी	1,13,000.00	88,271.00
	कुल	1,39,19,736.00	1,24,56,220.00

अध्याय–IV

01. मामला संख्या–01/लोक (राजस्व) 08/2006

संदर्भ – महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर असद्भाव पूर्वक की गयी नियुक्ति हेतु अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) के विरूद्ध विधिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा।

श्री जीतेन्द्र प्रसाद, प्राध्यापक, कोल फील्ड महाविद्यालय, भागा, झरिया, धनबाद ने 29.03.2006 को एक परिवाद दायर किया, जिसमें शिकायत की गयी थी कि श्री राजमोहन तिवारी, अपर समाहर्त्ता (विधि एवं व्यवस्था), धनबाद ने कोल फील्ड महाविद्यालय, भागा, धनबाद के शासी निकाय के सचिव होने के नाते उपायुक्त, धनबाद के आदेश का उल्लंघन एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अनुदेशों की अवहेलना तथा उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन कर अपनी शक्ति का दुरूपयोग करते हुए परिवादी को प्राचार्य के पद से हटाने और श्री एस0एन0 वैद्य, सेवानिवृत्त प्राचार्य को फिर से उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में पुनर्नियुक्त करने का आदेश पारित किया।

मामले की विस्तृत रूप से जांच की गयी और उपायुक्त, धनबाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के सी0आई0डी0 से रिपोर्ट मांगी गयी। उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि श्री राज मोहन तिवारी, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था), धनबाद ने उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में श्री एस0एन0 वैद्य (सेवानिवृत्त प्राचार्य) की पुनर्नियुक्ति अवैध रूप से की थी एवं अनेक वित्तीय अनियमितताएँ भी की थी।

तदनुसार, श्री राजमोहन तिवारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने एवं विभागीय कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गयी।

02. मामला संख्या–02 / लोक (शिक्षा) 04 / 2011

संदर्भ – मध्याह्न भोजन योजना के प्रचालन में भ्रष्ट आचरण हेतु प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करने की अनुशंसा।

रमेश कुमार चौरसिया, पाकुड़ द्वारा एक परिवाद याचिका दायर की गयी जिसमें श्रीमती अहिल्या देवी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पाकुड़ पर मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्ट आचरण का अभिकथन किया गया था।

उपायुक्त, पाकुड़ से जांच रिपोर्ट मांगी गयी, जिसने जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा की गयी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी। इसमें परिवादी के अभिकथन को सही पाया गया था। एतदर्थ 10(i)(क) के अधीन अभिकथित लोक सेवक श्रीमती अहिल्या देवी के विरूद्ध नोटिस निर्गत की गयी। इसी बीच उपायुक्त, पाकुड़ से कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की गयी जिसने सम्बद्ध लोक सेविका के विरूद्ध कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए उसे सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग को भेज दिया। मामले की सुनवाई नियत की गयी। लोक सेविका श्रीमती अहिल्या देवी ने अपना मामला अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् लोकायुक्त ने 16.12.2011 को अपना अंतिम आदेश पारित किया। लोकायुक्त ने पाया कि लोक सेविका श्रीमती अहिल्या देवी, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने सरकार के मध्याहन भोजन योजना के अधीन चावल वितरण में कपट एवं अनियमितताएँ की है। श्रीमती अहिल्या देवी अपनी निर्दोषिता के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सकी। फलतः लोकायुक्त ने आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन राज्य सरकार से अनुशंसा की।

03 मामला सं0–01/लोक (पुलिस) 04/2008

प्रसंग – एक निर्दोष व्यक्ति को यंत्रणा देने एवं उस पर मिथ्या मामला दायर करने के लिए 3 पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई।

परिवादी गुरूमीत सिंह ने परिवाद दायर किया। इसमें कहा गया कि वह गुरूद्वारा प्रबंधक समिति एवं भाजपा इकाई, कतरास का पदधारी है। सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते वह पुलिस थाना में जाता था एवं पुलिस पदाधारियों के गलत कार्यों के विरूद्ध आवाज उठाता था। इसलिए पुलिस को उसके विरूद्ध आपत्ति रहती थी।

उसे दिनांक 17.11.2007 को थाना पर बुलाया गया तथा थाना प्रभारी श्री देव उपाध्याय एवं निरीक्षक श्री रामाकांत राम द्वारा उससे दुर्व्यवहार किया गया। उक्त पुलिस पदाधिकारियों ने उसके विरूद्ध गलत मामला दायर कर परिवादी को गिरफ्तार भी कर लिया।

बोकारो प्रक्षेत्र के आई.जी. से रिपोर्ट मांगी गयी। श्री के.एस. मीना, तत्कालीन आरक्षी महानिरीक्षक, बोकारो प्रक्षेत्र द्वारा रिपोर्ट दी गयी कि जांच के दौरान यह पाया गया कि पुलिस द्वारा परिवादी के विरूद्ध मिथ्या मामला दायर किया गया है। इसलिए दोनों पुलिस एवं अन्वेषण पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी है। आरक्षी महानिरीक्षक ने परिवादी के विरूद्ध दाखिल आपराधिक मामला का पुनः अन्वेषण करने का भी आदेश दिया।

परिवादी द्वारा पुनः सूचित किया गया कि सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मामला वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। वह व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुआ और अपना पत्र भी दिया कि अन्वेषण के उपरान्त पाया गया है कि उसके विरूद्ध मिथ्या पुलिस मामला दायर किया गया है। अतः उसने पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की प्रार्थना की। पुनः रिपोर्ट मांगी गयी। इस प्रकार लोकायुक्त के हस्तक्षेप से इस मामला में लिप्त तीनों पुलिस पदाधिकारियों को उनके ओहदा से प्रत्यावर्तन/अवनति द्वारा दंडित किया गया। भा.द.वि.स. की धारा– 211/183 के अधीन दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अलग से आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गयी।

04. मामला संख्या–01/लोक (कारा) 01/2011

प्रसंग – चाईबासा कारा के कैदियों द्वारा कारा हस्तक के अनुसार उचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में परिवाद।

चाईबासा कारा के चौंतीस कैदियों ने इस मामला में परिवाद दाखिल किया, जिसमें अभिकथित किया गया कि कारा हस्तक के उपबंधों के अनुसार भोजन एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। दूसरा यह कि मात्र 290 कैदियों की क्षमता वाली जगह में एक हजार कैदी रह रहे हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा आरक्षी अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गयी, जिन्होंने अपनी अलग–अलग रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट की गयी कि कारा का नया विस्तार भवन बन गया है किन्तु यह सी0आर0पी0एफ0 कर्मियों के अधिभोग में है। पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं है तथा उसमें पुस्तकों को समुचित ढंग से नहीं रखा गया है। अस्पताल की स्थिति भी बहुत बुरी है। इसके उपरान्त लोकायुक्त द्वारा पुस्तकालय एवं कारा अस्पताल की सभी कमियों को दूर करने तथा नये विस्तार भवन को सी0आर0पी0एफ0 से खाली कराने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में आ0 महानि0 कारा ने अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि कारा पुस्तकालय एवं अस्पताल के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई की गयी है। जहाँ तक कैदियों के लिए पर्याप्त आवासन का सम्बन्ध है तो कहा गया कि उपायुक्त, चाईबासा से कारा का विस्तार भवन सी0आर0पी0एफ0 कर्मियों से खाली कराने के लिए आग्रह किया गया है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में कारगर उपाय किये गये हैं मामले को बंद कर दिया गया।

05. मामला संख्या–02/लोक (विविध) 01/2011

प्रसंग : देवघर में पेयजल स्कीम के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित टी0वी0 समाचार के आधार पर स्वतः संज्ञान।

यह मामला आर्यन चैनल पर 09 मई 2011 को लगभग 06 बजे अपराह्न में प्रसारित समाचार के आधार पर शुरू किया गया। उक्त समाचार में

बताया गया कि देवघर जिला के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वजलधारा योजना के अधीन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2010–11 के दौरान लगभग 206.2315 लाख रुपयों का आवंटन किया गया था। यह भी बताया गया कि स्कीम के अधीन कुछ प्रखण्डों में केवल पानी का पाईप बिछाया गया और कागज पर दिखा दिया गया कि परियोजना पूरी हो गयी जबकि ग्रामीणों को जल की एक बूँद भी उपलब्ध नहीं हुई।

टी0वी0 चैनल पर उक्त समाचार देखने के पश्चात् लोकायुक्त ने स्वप्रेरणा से कार्रवाई करते हुए समाचार रिपोर्ट को परिवाद के रूप में निबंधित करने का निदेश दिया। लोकायुक्त के सचिव एवं आप्त सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति बनायी गयी। समिति ने स्कीम के अधीन देवघर जिला की सभी परियोजनाओं के कार्यस्थलों का निरीक्षण किया तथा सी0डी0 की कॉपी के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कार्यस्थल के फोटोग्राफ एवं विडियो क्लिपिंग भी दिए गए थे। जाँच समिति ने पाया कि स्कीम के अधीन एक भी परियोजना पूरी नहीं की गयी थी। केवल जल टैंक का निर्माण किया गया था अथवा समरसिबल पम्प के साथ पाइप जोड़ दिया गया था परंतु ग्रामीणों को जलापूर्ति नहीं हो रही थी। इसके पश्चात् उपायुक्त, देवघर को उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित सभी तेईस परियोजनाओं की जाँच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया। यह रिपोर्ट की गयी कि सभी लम्बित परियोजनाओं को एक माह के भीतर पूरा करने के लिए उपायुक्त, देवघर द्वारा प्रभावी कदम उठाए गये हैं। उपायुक्त, देवघर द्वारा कार्यपालक अभियन्ता को अनुपयोजित राशि वसूलने का निदेश दिया गया है। श्री बी0पी0 सिंह तत्कालिन कार्यपालक अभियन्ता को परियोजना पूरा नहीं करने का जिम्मेदार ठहराया गया और उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता को यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों के विरूद्ध प्राथमिकी दायर करें। वे भी कर्त्तव्य अवहेलना के लिए जिम्मेदार हैं।

06. मामला संख्या–02/लोक (राजस्व) 07/2011

प्रसंग : तथ्यों को छिपाकर गलत परिवाद दाखिल करने के लिए परिवादी पर वाद व्यय 10,000/– रु0 अधिरोपित करना।

बेरमो, बोकारो निवासी श्री इन्द्रदेव साव ने 04.04.2011 को एक परिवाद दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि अंचलाधिकारी, बेरमों ने अपेक्षित शुल्क जमा करने के बावजूद उसकी जमीन की माप रिपोर्ट की प्रति नहीं दी।

अनुमंडलाधिकारी, बेरमों से रिपोर्ट मांगी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो तथा अंचलाधिकारी, बेरमो द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी। यह रिपोर्ट की गयी कि प्रश्नगत जमीन ''गैर मजरूआ खास जमीन'' है तथा उसे परिवादी द्वारा न तो नामांतरित कराया गया है न उसके नाम से कोई किराया रसीद जारी की गयी है। परिवादी द्वारा मुंसिफ न्यायालय, बेरमो में उस जमीन पर स्वत्वाधिकार के लिए हकदारी वाद संख्या–22/2009 दायर किया गया है।

यह भी ध्यान में लाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में ही प्रश्नगत जमीन की माप की गयी थी तथा माप रिपोर्ट की प्रति भी परिवादी को दी जा चुकी है। इस बात को पूछने पर परिवादी ने स्वीकार किया कि उसे प्रति प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रकार परिवादी ने इन सभी तथ्यों को दबाया और कार्यालय को भ्रम में डालने का प्रयास किया। लोकायुक्त द्वारा तथ्यों पर विचार करते हुए परिवाद मामला को खारिज कर दिया गया तथा परिवादी पर 10,000/– रु0 वादव्यय अधिरोपित किया गया।

07. मामला संख्या–02/लोक (बिक्री कर) 02/2011

प्रसंग – बिक्री कर वकील की अनुज्ञप्ति का निर्गम

याची श्री जनक राम ने आसन्न याचिका दायर की जिसमें अभिकथन किया गया कि उसने सेवानिवृत्ति के पश्चात् मूल्यवृद्धि कर अधिनियम के नियम 51(4) एवं 59(9) (घ) के उपबंधों के अधीन बिक्री कर वकील की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया था। उसने शुल्क के रूप में विहित 500/– रु0 का भुगतान भी किया तथा अन्य सभी औपचारिकताएँ भी पूरी की। इसके बावजूद उसके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गयी। उपायुक्त, वाणिज्यकर, विशेष अंचल, रांची से रिपोर्ट मांगी गयी। उसने रिपोर्ट किया कि परिवादी के पक्ष में अनुज्ञप्ति पत्र

संख्या–2571 दिनांक 12.10.2011 द्वारा निर्गत कर दिया गया। इस प्रकार इस कार्यालय के हस्तक्षेप से परिवादी की शिकायत दूर हो गयी।

08. मामला संख्या–02/लोक (राजस्व) 04/2008

प्रसंग – गलत ढंग से अंतिम पारिश्रमिक में से 72856/– रु0 की कटौती करना।

गुमला निवासी श्री बसंत उरांव, पिता स्व0 दीनबन्धू भगत ने 27.11.2007 को परिवाद दायर किया कि स्व0 दीनबन्धू भगत, एक सेवानिवृत्त पंचायत सेवक के नामित को भुगतेय अंतिम पारिश्रमिक में से 72,856/– रु0 की कटौती गलत ढंग से की गयी है।

उपायुक्त, गुमला से रिपोर्ट मांगी गयी। स्मार भी दिए गए। अनुबद्ध समय पर रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने के चलते इस मामले की सुनवाई 26.04.2011 को करने के लिए सभी सम्बन्धित पक्षकारों को नाटिस निर्गत की गयी। झारखण्ड लोकायुक्त द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् प्र0वि0 पदा0, रायडीह, गुमला ने स्वीकार किया कि परिवादी की शिकायत सही थी और गलत ढंग से कटौती की गयी राशि 72,856/– रु0 का भुगतान 27.04.2011 को परिवादी बसंत उरांव, पिता स्व0 दीनबन्धू भगत को कर दिया गया। इस प्रकार गरीब परिवादी को राहत प्राप्त हुई।

09. मामला संख्या–02/लोक (ग्रामीण विकास विभाग) 06/2011

प्रसंग – सामाजिक पेंशन स्कीम के अधीन बी0पी0एल0 कार्ड एवं पेंशन को पुनः निर्गत करना।

परिवादिनी पूर्णिमा हॉडी ने 28.04.2011 को यह परिवाद दाखिल किया कि उसके पति की मृत्यु 10.08.2001 को हुई एवं उसने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अधीन लाभ के लिए 29.07.2002 को आवेदन किया था। सभी प्रयास के बावजूद उसे उक्त स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। रिपोर्ट मांगी गयी। उपायुक्त, जामताड़ा ने रिपोर्ट किया कि चूंकि परिवादिनी का पति बी0पी0एल0 कार्ड धारक नहीं था, इसलिए वह उक्त स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त

करने की हकदार नहीं है। तथापि राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभ स्कीम के अधीन उसे 400/– रु0 की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में स्वीकृत की गयी है। परिवादिनी ने पुनः अर्जी दी कि उसके पक्ष में बी0पी0एल0 कार्ड निर्गत किया जाए। उस गरीब महिला की दशा पर विचार करते हुए अंचलाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया गया कि इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोकायुक्त के हस्तक्षेप के चलते परिवादी को बी0पी0एल0 कार्ड भी निर्गत कर दिया गया। इस प्रकार इस कार्यालय के प्रयास से परिवादी की शिकायत दूर हो गयी।

10. मामला संख्या–02/लोक (कल्याण) 02/2007

प्रसंग – वृद्धावस्था पेंशन

परिवादी श्री शिवनारायण भोक्ता (एक अंधा पेंशनर) ने परिवाद दाखिल किया कि उसे 1999 तक विकलांगता पेंशन स्वीकृत की गयी किन्तु इसके बाद बिना कोई कारण बताये इसे रोक दिया गया। अंचलाधिकारी, कांके, रांची से रिपोर्ट मांगी गयी। लोकायुक्त के हस्तक्षेप के चलते परिवादी को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 25,200/– रु0 बैंक चेक के द्वारा भुगतान कर दिया गया। परिवादी से पूछा गया तो उसने राहत के लिए संतोष व्यक्त किया।

11. मामला संख्या–02/लोक (उत्पाद) 04/2011

प्रसंग – सेवानिवृत्ति बकाया, कालबद्ध प्रोन्नति और वेतन पुनरीक्षण आदि।

परिवादी एक सेवानिवृत्त उत्पाद सिपाही रामेश्वर दूबे ने यह परिवाद दाखिल किया कि उसकी सेवानिवृत्ति 31 दिसम्बर, 2003 को हुई किन्तु उसकी सेवानिवृत्ति का बकाया, कालबद्ध प्रोन्नति, वेतन पुनरीक्षण तथा दो माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए उसने उपर्युक्त बकाया के भुगतान करने के लिए सम्बद्ध विभाग को निदेश देने का आग्रह किया है।

सम्बद्ध विभाग से रिपोर्ट माँगी गयी और विभाग द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी कि इस परिवाद के लम्बित रहने के दौरान ही परिवादी को उपर्युक्त सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

परिवादी से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि उसके सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान मई, 2011 में कर दिया गया।

12. मामला संख्या–02 / लोक (राजस्व) 07 / 2009

प्रसंग – याची को सेवानिवृत्ति एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ नहीं प्राप्त होना।

एक सेवानिवृत्त सहायक मृदा संरक्षण पदाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार गुप्त ने 31.05.2008 को एक परिवाद दाखिल किया कि उसकी सेवानिवृत्ति 31.12.2007 को ही हो चुकी है किन्तु उसे सेवानिवृत्ति एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ नहीं मिले हैं।

मृदा संरक्षण पदाधिकारी, घाटशीला से रिपोर्ट मांगी गयी। झारखण्ड लोकायुक्त द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् मृदा संरक्षण पदाधिकारी, घाटशीला ने अपने पत्र संख्या–26 दिनांक 11.03.2011 द्वारा संसूचित किया कि परिवादी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया गया है और पेंशन का भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है। परिवादी की संसूचना के पश्चात् मामला बंद कर दिया गया।

13. मामला संख्या–02 / लोक (राजस्व) 04 / 2011

प्रसंग – सेवानिवृत्ति एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, रांची ने 04.01.2011 को एक परिवाद दाखिल किया कि उनकी सेवानिवृत्ति 31.07.2008 को हुई तथा सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने के लिए सभी कागजात रहते हुए और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, रांची द्वारा पेंशन निर्गत करने के लिए महालेखाकार को अग्रसारित करने के बावजूद वह सेवानिवृत्ति बकाया के लिए अब तक प्रतीक्षारत हैं।

महालेखाकार, झारखण्ड, रांची से रिपोर्ट मांगी गयी। झारखण्ड लोकायुक्त द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात् महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा तत्काल कार्रवाई की गयी और इसके पश्चात् भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया। परिवादी ने दिनांक 24.05.2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि प्राधिकार पत्र प्राप्त हो गया है। मामला बंद कर दिया गया।

14. मामला संख्या–02 / लोक (शिक्षा) 19 / 2008

प्रसंग – सेवानिवृत्ति बकाया तथा पेंशन सम्बन्धी लाभ।

यह मामला परिवादी अन्जेला टोप्पो की शिकायत से सम्बन्धित है जिसमें उसने अभिकथन किया है कि वह राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, गुमला के सहायक शिक्षिका के पद से 28.02.2007 को सेवानिवृत्त हुई किन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी उसे सेवानिवृत्ति बकाया एवं पेंशनी लाभ का भुगतान नहीं हुआ जिसके चलते वह गम्भीर आर्थिक कठिनाई में है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को नोटिस भेजी गयी और परिवादी को विधिक रूप में भुगतेय बकाया का भुगतान अबतक नहीं करने के बारे में पूछा गया।

लोकायुक्त द्वारा की गयी कार्रवाई के चलते परिवादी को राहत मिली। उसने इस कार्यालय को लिखित रूप में सूचना दी कि वह अपने सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान प्राप्त कर चुकी है।

15. मामला संख्या–02 / लोक (जल संसाधन) 07 / 2009

प्रसंग – सेवानिवृत्ति बकाया।

जल संसाधन विभाग के एक सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता ने अपने सेवानिवृत्ति बकाया के लिए माननीय लोकायुक्त के समक्ष दिनांक 02.06.2012 को एक परिवाद दाखिल किया था। लोकायुक्त कार्यालय ने मामले को उठाया और मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदनीपुर से रिपोर्ट मांगी गयी। मुख्य अभियंता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि चूंकि परिवादी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी पत्नी को सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया है। परिवादी की विधवा द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गयी। इस प्रकार लोकायुक्त के हस्तक्षेप के चलते परिवादी की शिकायत दूर हो गयी और मामला संचिकास्त किया गया।

16. मामला संख्या–02 / लोक (उद्योग) 02 / 2011

प्रसंग – सेवानिवृत्ति बकाया।

परिवादी श्री अशोक कुमार बिरूआ S/o श्री दुस्कन बिरूआ, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद ने सेवानिवृत्ति बकाया एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के विषय में शिकायत सम्बन्धी एक परिवाद दिनांक

31.12.2010 को माननीय लोकायुक्त के समक्ष दाखिल किया। सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार से रिपोर्ट मांगी गयी। विभाग द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी कि सामान्य भविष्य निधि बकाया, समूह बीमा, उपार्जित अवकाश एवं छठा वेतन बकाया को पहले ही दे दिया गया है। इस प्रकार, लोकायुक्त के हस्तक्षेप के चलते परिवादी की शिकायत दूर हो गयी और मामला संचिकास्त किया गया।